न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 191/2024   दायर दिनाँक 24.07.2024

वादी   **प्रतिवादी**

1. ओमप्रकाश पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी मड़ाम तहसील डीडवाना जिला डीडवाना कुचामन

बनाम्

1. तहसीलदार डीडवाना

राजस्व–वाद बाबत्

रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः–

श्री संजय राठी वकील वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 10.07.2025

राजस्व वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम मड़ाम पटवार हल्का कलवानी में खेत खसरा सं0 258 रकबा 0.0200 है., खसरा संख्या 259 रकबा 0.0400 है. एवं खसरा संख्या 260 रकबा 5.6700 है. भूमि वादी के संयुक्त खातेदारी की स्थित है। उक्त भूमि राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की भूल व सहवन से राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम अन्नाराम दर्ज कर दिया जबकि वादी का दस्तावेजों में वास्तविक नाम ओमप्रकाश है जो सही व सत्य है। वादी के अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस आदि में वादी का नाम ओमप्रकाश पुत्र सुरजाराम अंकित है।। नाम के गलत अंकन से वादी को सरकार द्वारा मिलने वाली योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा है व बैंक आदि से के.सी.सी. लोन लेने में परेशानियों का सामना करना पड रहा है। तथा वर्तमान में वादी व्यस्क हो चुका है इसलिए राजस्व रेकर्ड में वादी के नाम से पहले नाबालिक शब्द हटाना आवश्यक है। जिस कारण दावा रेकर्ड दुरूस्ती का करना लाजमी आया है।

वादी की प्रार्थना इस प्रकार हैः–

राजस्व ग्राम मड़ाम पटवार हल्का कलवानी में खेत खसरा सं0 258 रकबा 0.0200 है., खसरा संख्या 259 रकबा 0.0400 है. एवं खसरा संख्या 260 रकबा 5.6700 है. भूमि में वादी का नाम अन्नाराम के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र सुरजाराम अंकित किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जावें। एवं वादी व्यस्क हो चुका है इसलिए राजस्व रेकर्ड में वादी के नाम से पहले नाबालिक शब्द हटाया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार डीडवाना के पत्र क्रमांक/रीडर/2025/173 दिनांक 06.05.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का नाम फोतगी नामान्तरण संख्या 103 से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ है। प्रार्थी के पहचान दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड में प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश पुत्र सुरजाराम है एवं प्रार्थी का राजस्व रेकर्ड में नाम अन्नाराम पुत्र सुरजाराम दर्ज है। प्रार्थी के [illegible] में पूछताछ करने पर बताया कि प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश [illegible] जाति मेघवाल है।

विद्वान अधि[illegible] अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवे[illegible]किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati

Date: 2026.04.09 15:04:09 IST

Reason: SelfAttested

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया राजस्व ग्राम मड़ाम पटवार हल्का कलवानी में खेत खसरा सं0 258, 259, 260 में वादी अन्नाराम पुत्र सुरजाराम के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र सुरजाराम दुरूस्त करवाने एवं वादी व्यस्क होने पर अपने नाम के आगे नाबालिक शब्द हटाने की इस्तदुआ कर रहा है। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का नाम फोतगी नामान्तरण संख्या 103 से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ है। प्रार्थी के पहचान दस्तावेज में प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश पुत्र सुरजाराम है एवं प्रार्थी का राजस्व रेकर्ड में नाम अन्नाराम पुत्र सुरजाराम दर्ज है। नामान्तकरण के आधार पर राजस्व रेकर्ड में गलत अंकन अन्नाराम होने के कारण वादी के सही अंकन ओमप्रकाश होने के कथन को स्वीकार किया जा सकता है। वादी के दस्तावेजों के अवलोकन उपरान्त वादी का व्यस्क होने का कथन स्वीकार किया जाता है। अतः बाद विवेचन, वादी का हस्तगत वाद स्वीकार किया जाता है।

—:: आदेश ::—

सरहद मड़ाम पटवार हल्का कलवानी में खेत खसरा सं0 258 रकबा 0.0200 है., खसरा संख्या 259 रकबा 0.0400 है. एवं खसरा संख्या 260 रकबा 5.6700 है. भूमि में वादी का नाम अन्नाराम पुत्र सुरजाराम के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र सुरजाराम दुरूस्ती बाबत वादी का हस्तगत वाद स्वीकार किया जाता है। वादी व्यस्क होने का कथन स्वीकार किया जाकर वादी के नाम के आगे अंकित नाबालिक शब्द हटाया जाता है।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **10.07.2025** को सरे इजलास सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 15:04:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner